कॉपीराइट का पुनर्मूल्यांकनः केंद्र में जनता ही रहे

रिचर्ड स्टॉलमैन

क़ानून जगत के लोग इस बात से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी 'कॉपीराइट के लिए समस्याएं' खड़ी करती जा रही है। मगर अभी इन समस्याओं को उसके मूल कारण के साथ जोड़ कर देखना शुरु नहीं किया गया है। इन समस्याओं का मूल कारण है कॉपीराइटयुक्त रचनाओं के प्रकाशकों और इन रचनाओं के प्रयोक्ताओं/पाठकों के बीच टकराव। पिछले दिनों प्रकाशकों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए क्लिंटन प्रशासन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसके ज़रिए वे इन 'समस्याओं' का अपने हित में समाधान कराना चाहते हैं। ऑरेगॉन विश्वविद्यालय में संपन्न हुए 'रचनात्मकता और सूचना वातावरण सम्मेलन' (नवंबर 1995) में चर्चा का मुख्य केंद्र लेहमन श्वेतपत्र[1] नामक यह प्रस्ताव ही था।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता जॉन पेरी बार्लो[2] ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए बताया कि ग्रेटफुल डेड (Grateful Dead) इस टकराव को किस प्रकार चिन्हित और हल करती है। उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके प्रदर्शनों को टेप पर कॉपी करने या इंटरनेट के ज़रिए बांटने की प्रक्रिया के साथ दखलंदाज़ी करना या उस पर रोक लगाना तो ठीक नहीं है, मगर संगीत की सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) रिकॉर्डिंग पर कॉपीराइट थोपने में उन्हें कुछ भी ग़लत नहीं लगा।

बार्लो ने इस बात पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इन माध्यमों को अलग-अलग नज़रिए से देखने का क्या औचित्य है। बाद में गैरी ग्लिसन[3] ने ये कहते हुए बार्लो की राय को ख़ारिज कर दिया कि इंटरनेट अपने आप में एक बिल्कुल अनूठा माध्यम है और दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ से उसकी तुलना करना ठीक नहीं है। उनकी दलील थी कि हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट के चलते कॉपीराइट की नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके लिए हमें उसी प्रकार विश्लेषण करना चाहिए जिस तरह हम दूसरी प्रौद्योगिकियों के विषय में करते हैं। यह पर्चा इसी दिशा में एक प्रयास है।

बार्लो का मानना था कि भौतिक पदार्थों को संपत्ति के रूप में देखने वाली हमारा सोच सूचना के संदर्भ में वैध नहीं रह जाता है। सूचना को संपत्ति नहीं माना जा सकता है क्योंकि सूचना 'अमूर्त' है। परंतु जैसा कि स्टीवन विंटर[4] कहते हैं, अमूर्त संपत्ति सदियों से हमारे परिवेश में विद्यमान रही है। किसी कम्पनी के शेयर, Commodity Futures और यहां तक कि काग़ज़ के नोट भी कमोबेश अमूर्त संपत्तियां ही हैं। सूचना मुक्त होनी चाहिए — ऐसा कहने वाले बार्लो और दूसरे लोग भी इन दूसरे क़िस्म की अमूर्त संपत्तियों को ख़ारिज नहीं करते।

इसका मतलब साफ़ है कि सूचना और संपत्ति की स्वीकार्य क़िस्मों के बीच असल फ़र्क़ उनकी अमूर्तता नहीं है। तो फिर ये फ़र्क़ क्या है? अभी मैं इसकी एक सरल और व्यावहारिक व्याख्या पेश कर रहा हूं।

अमेरिका का कॉपीराइट क़ानून कॉपीराइट को जनता और 'लेखकों' के बीच मोलभाव के रूप में देखता है (यद्यपि व्यवहार में, सौदेबाज़ी में लेखकों की भूमिका को अक्सर प्रकाशक ही हथिया लेते हैं)। इसमें जनता अपने लाभ के लिए अधिक संख्या में प्रकाशित रचनाओं के लिए अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का परित्याग कर देती है। नए श्वेतपत्र के आने से पहले तक, अमेरिकी सरकार ने कभी इस आशय का सुझाव या संकेत नहीं दिया था कि प्रकाशित कृतियों का उपयोग करने के बदले जनता को अपनी सारी स्वतंत्रताएं गिरवी रख देनी चाहिए। कॉपीराइट के तहत कुछ स्वतंत्रताएं बरक़रार रहती हैं और कुछ ख़ास स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनता प्रकाशकों के साथ कई तरह से सौदेबाज़ी कर सकती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाज़िमी है कि जनता के लिए कौन से क़िस्म की सौदेबाज़ी सबसे फ़ायदेमंद रहेगी? वे कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें जनता गिरवी रख सकती है और वह कितने वक़्त के लिए ऐसा कर सकती है? इन सवालों के जवाब दो चीज़ों पर निर्भर करते हैंः एक, किसी ख़ास स्वतंत्रता का परित्याग करने के एवज़ में जनता को कितनी अतिरिक्त प्रकाशित कृतियां मिलेंगी, और दूसरा, अगर जनता उस स्वतंत्रता को बरक़रार रखना चाहती है तो उसे कितना लाभ होगा।

इससे साफ़ हो जाता है कि भौतिक पदार्थ, संपत्ति या यहां तक कि पुरानी बौद्धिक संपत्ति नीतियों के सदृश बौद्धिक संपत्ति के बारे में निर्णय लेना क्यों ग़लत है। विंटर का आग्रहपूर्ण तर्क था कि ऐसी सादृश्यताओं/तुलनाओं को विस्तार देना, अपनी पुरानी अवधारणाओं को फैला कर नए निर्णयों पर लागू करना पूरी तरह संभव है।[5] बेशक इससे हमें कुछ जवाब तो मिल जाता है — पर ये उत्तर भी बहुत बढ़िया नहीं है। हमें क्या ख़रीदना चाहिए या किस क़ीमत पर ख़रीदना चाहिए — यह तय करने के लिए सादृश्यता का सहारा लेना बहुत फ़ायदेमंद नहीं है।

मिसाल के तौर पर, अगर हमें न्यूयॉर्क में एक चौड़ी सड़क का निर्माण करना है तो इसके बारे में फ़ैसला लेने के लिए हम उसकी तुलना आयोवा शहर में सड़क बनाने के किसी पिछले निर्णय से नहीं करेंगे। हालांकि सड़क निर्माण के हर मामले में जो कारण प्रभावी होते हैं वे प्रायः समान रहते हैं (लागत, ट्रैफ़िक की तादाद, ज़मीन या मकानों को क़ब्ज़े में लेना वगैरह)। ऐसे में अगर सड़क निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए हम सड़क निर्माण संबंधी पिछले निर्णयों का अनुसरण करने लगें, तो होगा ये कि या तो हम सारी प्रस्तावित सड़कें बना लेंगे या फिर एक को भी नहीं बना पाएंगे। इसकी बजाय हम प्रत्येक प्रस्तावित सड़क के बारे में फ़ैसला लेते हुए उस ख़ास प्रस्तावित सड़क के फ़ायदे-नुक़सानों का जायज़ा लेते हैं और इनका स्तर प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है। इसी प्रकार कॉपीराइट से जुड़े मुद्दों पर भी हमें आज की परिस्थिति और आज के माध्यमों की लाभ-हानियों को ही तौलना चाहिए न कि ये देखना चाहिए कि अतीत में दूसरे माध्यमों में हमें क्या लाभ या हानियां होती थीं।

इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि लॉरेंस ट्राईब का यह सिद्धांत कॉपीराइट संबंधी निर्णयों पर लागू नहीं होता कि बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार माध्यम के चयन पर निर्भर नहीं होने चाहिएं।[6] कॉपीराइट जनता के साथ एक सौदेबाज़ी है न कि किसी क़िस्म का प्राकृतिक अधिकार। कॉपीराइट नीति से संबंधित मुद्दे इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं कि जनता को किस तरह की सौदेबाज़ी से फ़ायदा होता है, न कि इस बात से कि प्रकाशकों या पाठकों के क्या अधिकार हैं।

कॉपीराइट का चलन छपाई की तकनीक के साथ वजूद में आया है। प्रिंटिंग प्रेस के ज़माने में किसी आम पाठक के लिए ये आसान नहीं था कि वह किसी किताब की कॉपी कर सके। तब एक किताब को कॉपी करने का एकमात्र ज़रिया प्रिंटिंग प्रेस था और आम पाठकों के पास प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ होने का सवाल ही नहीं था। इतना ही नहीं, अगर इस तरह कॉपी की भी जाए तो भी वो केवल तभी सस्ती या फ़ायदेमंद रहती जबकि आप उसकी काफ़ी प्रतियां बनाएं — जिसका मतलब ये था कि क़ायदे से केवल प्रकाशक ही सस्ते में किसी किताब की कॉपी या प्रतियां तैयार कर सकते थे।

इस तरह ग़ौर करने वाली बात ये है कि जब जनता ने किताबों को कॉपी करने की अपनी स्वतंत्रता प्रकाशकों को बेच दी तो असल में उन्होंने एक ऐसी चीज़ ही बेची थी जिसका वे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे देकर कोई ऐसी चीज़ ले लेना हमेशा बढ़िया ही सौदा कहलाएगा जो आपके लिए उपयोगी या फ़ायदेमंद हो। इसलिए, प्रिंटिंग प्रेस के दौर में कॉपीराइट पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इसकी वजह यही थी कि इससे ...आम जनता की मर्ज़ी की किसी भी गतिविधि पर कोई रूकावट नहीं पैदा होती थी।

मगर प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना अब लदने लगा है। इस बदलाव की शुरुआत ज़ेरॉक्स/फ़ोटोस्टेट मशीनों और ऑडियो-विडियो टेपों ने की थी। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे और पुख़्तगी दे दी है। इन तरक़्क़ियों से न केवल बेहतरीन औज़ारों और मशीनों से लैस प्रकाशक, बल्कि आम आदमी के लिए भी ये बड़ा आसान हो गया है कि वह किताबों को कॉपी कर ले। और वे सब ऐसा करने लगे हैं!

एक बार ये समझ लेने के बाद कि कॉपी करना उपयोगी और व्यावहारिक गतिविधि है, आम आदमी अपनी इस आज़ादी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह इस आज़ादी को बेचने की बजाय उसे बरक़रार रखना चाहता है। कॉपीराइट को लेकर अभी जिस तरह की सौदेबाज़ी मौजूद है अब वो जनता के लिए बढ़िया सौदा नहीं रह गई है और अब वक़्त आ चुका है कि उसमें रद्दोबदल किए जाएं — ये वक़्त है क़ानून में इस बात को रेखांकित करने का कि किताबों की प्रतियां बनाने और उनको आपस में साझा करने से पूरे समाज को लाभ होता है।

इस विश्लेषण से हम भली भांति समझ सकते हैं कि कॉपीराइट की पुरानी सौदेबाज़ी इंटरनेट को अवर्णनीय रूप से अनूठा मानने पर आधारित नहीं है। इंटरनेट इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इससे आम पाठक को भी लेखन को कॉपी करने और आपस में बांटने की सुविधा मिल जाती है। विभिन्न रचनाओं को कॉपी करना और उसे आपस में बांटना जितना आसान होता जाएगा, यह अधिकार उतना ही फ़ायदेमंद होता जाएगा और कॉपीराइट के ज़रिए मौजूदा क़िस्म का मोलभाव उतना ही घाटे का सौदा बनता चला जाएगा।

इस विश्लेषण से ये भी साफ़ हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि Grateful Dead में सीडी मैन्युफ़ैक्चरिंग को तो कॉपीराइट के दायरे में रखा गया है जबकि व्यक्तिगत कॉपीईंग पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। सीडी उत्पादन की प्रक्रिया काफ़ी कुछ प्रिंटिंग प्रेस जैसी ही है। किसी आम आदमी, भले ही उसके पास ख़ुद अपना कम्प्यूटर ही क्यों न हो, के लिए भी एक सीडी से दूसरी सीडी तैयार करना बहुत सस्ता मामला नहीं है। इसलिए संगीत की सीडी के प्रकाशन के कॉपीराइट पर संगीत सुनने वालों को अभी भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे प्रिंटिंग प्रेस के ज़माने में उन्हें किसी भी क़िस्म के कॉपीराइट पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर उसी संगीत को डिजिटल ऑडियो टेप पर उतारने को लेकर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उनसे संगीत सुनने वालों को वाक़ई परेशानी होती है और उन्हें पूरा हक़ है कि वे इन पाबंदियों को ख़ारिज कर दें। (1999 की टिप्पणीः अब सीडी के मामले में व्यावहारिक स्थिति बदल चुकी है। आज कम्प्यूटर इस्तेमाल करने वाले बहुत से आम लोग भी सीडी को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सीडी को भी टेप की तरह ही देखना चाहिए)।

यहां हम ये भी देख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा की अमूर्तता बहुत महत्वपूर्ण तत्व क्यों नहीं है। अमूर्त संपत्ति की दूसरी क़िस्मों में किसी चीज़ के हिस्से होते हैं। इसमें किसी भी क़िस्म के हिस्से की कॉपी करने पर भी इस लेन-देन का कुल जमा सिफ़र ही निकलता है, यानी जो आदमी फ़ायदा लेता है उसे दूसरे के नुक़सान की क़ीमत पर ही फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर एक डॉलर नोट को रंगीन कॉपियर मशीन के ज़रिए कॉपी करने का मतलब होगा शेष सभी डॉलर में से उनके मूल्य का एक छोटा अंश काट देना और इन अंशों को जोड़कर उस नए डॉलर में मूल्य पैदा करना। लाज़िम है कि हम इसे ग़लत मानते हैं।

इसके ठीक उलट, अपने दोस्त के लिए किसी उपयोगी, ज्ञानवर्धक या मनोरंजक सूचना को कॉपी करने से दुनिया की ख़ुशियों और संपन्नता में इज़ाफ़ा ही होता है। इससे आपके दोस्त को तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही किसी को कोई नुक़सान भी नहीं होता। ये एक रचनात्मक क्रिया है जिससे सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता आती है।

मुमकिन है कि कुछ लोगों को इस बयान पर थोड़ी परेशानी हो क्योंकि वे प्रकाशकों के इस दावे से वाक़िफ़ हैं कि ग़ैरक़ानूनी कॉपीईंग से उन्हें 'नुक़सान' होता है। ये दावा मोटे तौर पर ग़लत और एक हद तक गुमराह करने वाला है। इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि इस दावे से कई सवाल खड़े हो जाते हैं।

- ये दावा मोटे तौर पर इसलिए ग़लत है, या सटीक नहीं है क्योंकि इसमें ये मान कर चला जाता है कि अगर आपके दोस्त को आपसे कॉपी नहीं मिलती तो वो उसे प्रकाशक से ही ख़रीदता। ये बात कभी-कभी सही होती है। मगर जब ये तर्क ग़लत पड़ता है तब कोई कथित नुक़सान नहीं होता।
- ये दावा इसलिए एक हद तक गुमराह करने वाला है क्योंकि 'नुक़सान' शब्द से जिस क़िस्म की घटनाओं का संकेत मिलता है वे बिल्कुल अलग क़िस्म की होती हैं — ऐसी घटनाएं जिनमें व्यक्ति की कोई चीज़ उससे बाक़ायदा छीन ली जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी किताब की दुकान में रखी किताबों में आग लग जाए या बही में दर्ज पैसे न मिल पाएं तो ये वाक़ई 'नुक़सान' है। हम आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि दूसरे लोगों के साथ ऐसा करना ग़लत है। मगर जब आपका दोस्त किसी किताब की कॉपी न ख़रीदने का फ़ैसला करता है तो बुकस्टोर या प्रकाशक को ऐसी किसी चीज़ का नुक़सान नहीं होता जो अभी तक उसके पास थी। इसी बात की ज़्यादा सटीक व्याख्या के तौर पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब उस बुकस्टोर या प्रकाशक को संभवतः उतनी आय नहीं होगी जितनी होने की संभावना थी। पर ऐसा तब भी हो सकता है जब आपका दोस्त किताब पढ़ने की बजाय ताश खेलने का फ़ैसला कर ले। मुक्त बाज़ार व्यवस्था में किसी व्यवसाय में सिर्फ़ इस आधार पर 'बेईमानी' का शोर मचाने का कोई मतलब नहीं है कि आपके किसी संभावित ख़रीदार ने आपके साथ सौदा करने से इनकार कर दिया है।
- इस दावे से सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 'नुक़सान' का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि प्रकाशक को "भुगतान किया जाना चाहिए" था। और ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि कॉपीराइट की व्यवस्था वजूद में है और उसके तहत व्यक्तिगत पैमाने पर कॉपीईंग प्रतिबंधित है। पर हमारे सामने यही तो सवाल हैः कॉपीराइट का दायरा कहां तक होना चाहिए? अगर जनता तय करती है कि वह किताब की प्रतियों का आदान-प्रदान कर सकती है तो प्रकाशक को ये अधिकार नहीं है कि वह ये आशा करे कि उसे प्रत्येक कॉपी के लिए भुगतान किया जाएगा। और इसीलिए वह ये दावा भी नहीं कर सकता कि उसे 'नुक़सान' हुआ है क्योंकि हक़ीक़त में उसे कोई नुक़सान नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, 'नुक़सान' कॉपीराइट व्यवस्था की वजह से होता है; ये नक़ल की प्रक्रिया में निहित नहीं है। अपने आप में कॉपीईंग से किसी को कोई चोट नहीं पहुंचती।

श्वेतपत्र के जिस प्रावधान का सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है वह सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कम्प्यूटर के मालिक को उसके कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि वह ऐसा करने में चूक जाता है तो उसको इस बात के लिए दंडित किया जाएगा कि भले ही उसने ख़ुद कोई ग़लती न भी की हो, मगर वह अपने संसाधनों का दुरुपयोग रोक पाने में तो नाकाम रहा ही है। टिम स्लोआन[7] ने इस बात को रेखांकित किया है कि इससे कॉपीराइट मालिकों को ऐसी हैसियत मिल जाएगी जो और किसी भी व्यवसायी को प्राप्त नहीं है। इससे वे किसी कम्प्यूटर प्रयोक्ता के हाथों क्षति का दावा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ऐसा प्रस्ताव अभी किसी ने नहीं रखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कम्प्यूटर के ज़रिए किसी व्यक्ति को बदनाम करता है तो कम्प्यूटर मालिक को उसे ऐसा करने से न रोक पाने में विफलता के लिए दंडित किया जाए। जिस क़ानून में ज़्यादातर नागरिकों को विश्वास न हो उसे लागू करने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सहारा लेना सरकार के लिए तो लाज़िमी ही है। डिजिटल टेक्नॉलजी सूचना का आदान-प्रदान करने में लोगों को जितनी ज़्यादा आसानी मुहैया कराती जाएगी, आम नागरिकों पर कॉपीराइट थोपने के लिए सरकार की तरफ़ से एक से बढ़कर एक डरावने क़ानूनों की ज़रूरत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी।

जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था उस समय ये सुझाव रखा गया था कि लेखकों को एकाधिकारी कॉपीराइट मिलना चाहिए। पर इसे ख़ारिज कर दिया गया था[8]। इसकी बजाय हमारे

देश (अमेरिका) के संस्थापकों ने कॉपीराइट के एक अलग विचार को मंज़ूरी दी। इस विचार में जनता को आगे रखा गया था[9]। अमेरिका में कॉपीराइट का प्रावधान दरअसल प्रयोक्ताओं के हित में किया गया था। प्रकाशकों और यहां तक कि लेखकों को भी जो फ़ायदे दिए गए हैं वे इन पक्षों को फ़ायदा पहुंचाने भर के लिए ही नहीं दिए गए हैं बल्कि इनका प्रावधान उन्हें अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था। जैसा कि फ़ॉक्स फ़िल्म कॉर्पोरेशन बनाम डॉयल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा थाः "(कॉपीराइट) एकाधिकार प्रदान करने के पीछे संयुक्त राज्य का एकमात्र हित और मूल उद्देश्य लेखकों के परिश्रम से जनता को लाभ पहुंचाना ही है।"[10]

कॉपीराइट को लेकर संविधान की राय यह है कि यदि जनता कुछ मामलों में लिखित रचनाओं की प्रतियां बनाना चाहती है, यहां तक कि भले ही इसकी वजह से प्रकाशित होने वाली रचनाओं की संख्या में कमी ही क्यों न आ जाए, तो जनता की इच्छा ही निर्णायक मानी जाएगी। इसका कोई संभव औचित्य नहीं है कि जनता को उन चीज़ों की कॉपी करने से रोका जाए जिनकी वह कॉपी करना चाहती है।

संवैधानिक निर्णय आ जाने के बाद से तमाम प्रकाशक जनता को ग़लत सूचनाएं देकर उसे पलटवाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसके लिए वे उन्हीं तर्कों को दोहराते रहते हैं जिनमें इस बात को ही प्रस्थानबिंदु के रूप में लेकर चला गया है कि कॉपीराइट लेखकों का प्राकृतिक अधिकार है (हालांकि वे इसकी चर्चा भी नहीं करते कि लेखक प्रायः हमेशा अपने इस अधिकार को प्रकाशकों के हवाले कर देते हैं)। जो लोग इन तर्कों को सुनते हैं, अगर वे इस बात से नावाक़िफ़ हैं कि यह मान्यता हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ है, तो वे सहज ही मान लेते हैं कि हमारे क़ानून के हिसाब से यही बात सही है।

ये सोच हमारे समाज में इतनी गहराई तक पैर जमाए हुए है कि जो लोग नई कॉपीराइट शक्तियों का विरोध करते हैं उन्हें ये तर्क तक देना पड़ रहा है कि इससे स्वयं लेखकों और प्रकाशकों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए जेम्स बॉयल[11] स्पष्ट करते हैं कि एक कड़ी बौद्धिक संपदा व्यवस्था नई कृतियों के लेखन को बाधित कर सकती है। जेसिका लिटमैन[12] कॉपीराइट से बचाव के ऐसे ठिकानों की चर्चा करती हैं जिन्होंने अनेक नए माध्यमों के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। पामेला सैमुअल्सन[13] आगाह करती हैं कि इस श्वेतपत्र से सूचना उद्योग की 'तीसरी लहर' पैदा होने से रह जाएगी। उनके अनुसार जब तक इम प्रिंटिंग प्रेस के युग वाले 'दूसरी लहर' के आर्थिक मॉडल में बंधे रहेंगे तब तक 'तीसरी लहर' के उठने की गुंजाइश ही नहीं पैदा होगी।

ये तर्क उन मुद्दों पर बेहद प्रभावी हो सकते हैं जहां वे उपलब्ध हैं, विशेषकर, 'जो सामान्य मीडिया के लिए अच्छा है वही अमेरिका के लिए भी अच्छा है'— इस सोच से लैस अमेरिकी काँग्रेस और प्रशासन में। पर ये तर्क उस मूल दोष को बेनक़ाब करने से चूक जाते हैं जिस पर यह सोच आधारित है। नतीजतन लंबे समय में ये बहुत कामयाब नहीं हैं। जब ये तर्क किसी एक जगह कामयाब हो जाते हैं तो भी वे ऐसी आम समझ विकसित नहीं कर पाते जिसके सहारे अगली लड़ाई जीती जा सके। अगर हम इन तर्कों का बहुत अधिक और बार-बार सहारा लेने लगें तो ख़तरा इस बात का भी है कि हम प्रकाशकों को संविधान को निष्प्रभावी बनाने का मौक़ा दे देंगे।

मसलन, डिजिटल फ़्यूचर कोअलिशन (यह एक छाता संगठन है जिसमें कई अलग संगठन शामिल हैं) के पिछले दिनों प्रकाशित वक्तव्य में श्वेतपत्र का विरोध करने के कई कारणों की फ़ेहरिस्त दी गई है। इसमें लेखकों, पुस्तकालयों, शिक्षा जगत, ग़रीब अमेरिकियों, प्रौद्योगिकीय प्रगति, आर्थिक लचीलेपन, और निजता आदि सभी चिंताओं को समाहित किया गया है — और ये सभी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही भी हैं, पर मोटे तौर पर मुख्य मुद्दे पर रौशनी नहीं डाल पातीं।[14] ये बड़ी संदेहजनक बात है कि इसमें सबसे अहम कारण ही ग़ायब हैः कि बहुत सारे (बल्कि ज़्यादातर) अमेरिकी कॉपी बनाना जारी रखना चाहते हैं। डीएफ़सी श्वेतपत्र के केंद्रीय उद्देश्य की आलोचना में चूक जाता है। श्वेतपत्र में प्रकाशकों की शक्तियों में वृद्धि करने की वकालत की गई है और उसकी पुरज़ोर कोशिश यही है कि संविधान को ख़ारिज करके किसी भी तरह प्रकाशकों को प्रयोक्ताओं के ऊपर तरजीह दिला दी जाए। इस बिंदु पर ख़ामोशी को रज़ामंदी की निशानी भी समझा जा सकता है।

प्रकाशकों के अधिकारों में इज़ाफ़े की कोशिशों का विरोध इसी बात पर निर्भर करता है कि समाज में इस बात को व्यापक स्वीकार्यता मिले कि पढ़ने-सुनने वाले लोगों के हित ही सबसे अहम हैं; और, कि कॉपीराइट का प्रावधान प्रयोक्ताओं के हित में किया गया था न कि प्रकाशकों के हित में। यदि जनता कुछ कॉपीराइट शक्तियों को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है तो इसका मतलब ही है कि वह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता और विधायिका को कॉपीराइट के मक़सद और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह की संभावनाओं के बारे में याद दिलाकर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जनता के हितों को सर्वोपरि स्थान मिले।

कॉपीराइट 1996, रिचर्ड स्टॉलमैन: इस आलेख की शब्दश: कॉपीईंग और वितरण पर कोई रोक नही है, बशर्ते इस सूचना को यथावत बनाए रखा जाए।

संदर्भ

1. इनफ़ॉर्मेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फ़ोर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द नैशनल इन्फ़ॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरः द रिपोर्ट ऑफ़ द वर्किंग ग्रुप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (1995).
2. जॉन पेरी बार्लो, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियां. श्री बार्लो इलेक्ट्रॉनिक फ़्रंटियर फ़ाऊंडेशन के संस्थापकों में से एक हैं. यह संगठन डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है. श्री बार्लो ग्रेटफुल डेड के गीतकार भी रह चुके हैं.
3. गैरी ग्लिसन, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियां। इसे भी देखें, गैरी ग्लिसन, 'ए प्रैक्टीशनर्स डिफेंस ऑफ़ दि एनआईआई व्हाईट पेपर', *75 ओआरएल रिव्यू* (1996) (श्वेतपत्र के समर्थन में). श्री ग्लिसन, पोर्टलैंड, ओरेगॉन स्थित लेन पॉवेल स्पियर्स ल्यूबर्स्की में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रुप के साझीदार और निदेशक हैं.
4. स्टीवन विंटर, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियाँ.श्री विंटर मियामी स्कूल ऑफ़ लॉ में प्रोफ़ेसर हैं.
5. विंटर, उपरोक्त टिप्पणी 4.
6. देखें लॉरेंस एच. ट्राईब, 'द कांस्टीट्यूशन इन साइबरस्पेसः लॉ एंड लिबर्टी बियॉंड दि इलेक्ट्रॉनिक फ़्रंटियर', *ह्यूमैनिस्ट*, सितंबर-अक्तूबर 1991, पृ. 15.
7. टिम स्लोआन, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियां. श्री स्लोआन राष्ट्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रशासन के सदस्य हैं.
8. देखें जेन सी. गिंसबर्ग, *ऑफ़ ऑथर्स एंड ओरिजिंसः एस्सेज़ ऑन कॉपीराइट लॉ* 131, 137-38 (ब्रैड शर्मान एवं एलन स्ट्रोवेल, सं, 1994) में 'ए टेल ऑफ़ टू कॉपीराइट्सः लाईब्रेरी प्रॉपर्टी इन रिवॉल्यूशनरी फ़्रांस एंड अमेरिका' (यह कहते हुए कि संविधान निर्माताओं का आशय या तो यह था कि **लेखकों के हितों को सार्वजनिक हित के मातहत रखा जाए** या कि **निजी और सार्वजनिक हितों को ... बराबर माना जाए**).
9. अमेरिकी संविधान, धारा I, 8, अनुच्छेद 8 ("कॉंग्रेस को अधिकार होगा..... विज्ञान एवं उपयोगी कलाओं को प्रोत्साहित और विकसित करने का. इसके लिए उसे लेखकों और आविष्कारकों के लेखन और आविष्कारों पर निरापद अधिकार के लिए एक समयसीमा निश्चित करने का अधिकार होगा").
10. 286, संयुक्त राज्य अमेरिका, 123, 127 (1932).
11. जेम्स बॉयल, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियाँ. श्री बॉयल वॉशिंगटन, डी सी स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं.
12. जेसिका लिटमैन, रचनात्मकता एवं सूचना वातावरण सम्मेलन (नवंबर 1995) के अवसर पर की गई टिप्पणियाँ. सुश्री लिटमैन डेट्रॉयट, मिशीगन स्थित वायने यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं.

13. पामेला सैमुअल्सन, 'दि कॉपीराईट ग्रैब', *वायर्ड*, जनवरी 1996. सुश्री सैमुअल्सन कॉर्नेल लॉ स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं.
14. डिजिटल फ़्यूचर कोअलिशन, यह व्यापक गठबंधन बौद्धिक संपदा संबंधी प्रस्तावों पर चिंता व्यक्त करता है, नवंबर (15, 1995).

यह लेख 1996 में ऑरेगॉन लॉ रिव्यू में प्रकाशित हुआ था।

अनुवादः योगेन्द्र दत्त